



प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश  
Directorate of Technical Education Uttar Pradesh  
विकास नगर, कानपुर-208002  
Vikas Nagar, Kanpur-208002

वेबसाइट/website : <http://upted.gov.in/directorate>

दूरभाष/Phone: 2582084

फैक्स/Fax: 2580965

ई-मेल/Email: [directordepteup@gmail.com](mailto:directordepteup@gmail.com)

:: आदेश ::

प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा सेक्टर), उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन राजकीय पालीटेक्निकों के समूह "ग" श्रेणी में तैनात निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख तालिका के कालम-4 पर अंकित संस्था में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-


क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री :-	वर्तमान तैनाती का स्थान	संस्था जहाँ स्थानान्तरित किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	अनवार अहमद, कनिष्ठ सहायक	राजकीय पालीटेक्निक, एलिया सदर, सीतापुर	राजकीय महिला पालीटेक्निक, अमेठी	स्वयं के अनुरोध पर।
2.	श्री हरीपाल, कनिष्ठ सहायक	राजकीय पालीटेक्निक, तालबेहट, ललितपुर	राजकीय पालीटेक्निक, झांसी	स्वयं के अनुरोध पर।
3.	चेतन चौहान कनिष्ठ सहायक	राजकीय पालीटेक्निक, चन्दौसी, सम्भल	राजकीय पालीटेक्निक, चौगीपुर, नूरपुर, बिजनौर	स्वयं के अनुरोध पर।

उपरिलिखित कार्मिकों में से, जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है, उन्हें किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में माना जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये और यदि उपरोक्त कार्मिक इन आदेशों के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956" के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999" यथा संशोधित के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जायेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश शासन के पत्रांक-5/2023/262/सामान्य/47-का-4-2023-(1/3/96), दिनांक 07.06.2023 में निहित प्रतिबन्धों/प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में निर्गत किये जा रहे हैं।

  
(के. राम)  
निदेशक।

पृ0सं0:- 10782-789/ई-स्था0-स्थाना0अराज(समूह "ग/घ")2023-24 कानपुर:दिनांक: 30.06.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, विधान भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर।